

## सूचना

दिनांक:18.08.2017

### सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवायें संविदा के आधार पर प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन

बैंक द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवायें संविदा के आधार पर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निम्न पद हेतु भारतीय स्टेट बैंक एवं पूर्वांचल बैंक के सेवा निवृत्त अधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

### पद- एन.पी.ए. एवं वित्तीय समावेशन के प्रसार हेतु परामर्शदाता

बैंक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर एन.पी.ए. एवं वित्तीय समावेशन के निम्न कार्यों हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति।

- एन.पी.ए. प्रबंधन हेतु उपयुक्त नीति बनाने में सहायता
- एन.पी.ए. नियंत्रण हेतु आवश्यक सुझाव एवं क्रियान्वयन
- बड़ी धनराशि के एन.पी.ए. खातों की वसूली हेतु कार्यवाही
- वित्तीय समावेशन के कार्य को प्रसारित करना
- भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के वित्तीय समावेशन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यवाही
- एन.पी.ए. प्रबंधन विभाग एवं वित्तीय समावेशन विभाग के प्रभारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन
- शीर्ष प्रबंधन द्वारा समय-समय पर आवंटित किये जाने वाले विशेष प्राथमिकता संबंधी कार्य

### पात्रता:

- भारतीय स्टेट बैंक एवं पूर्वांचल बैंक के स्केल-IV श्रेणी से सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन के पात्र होंगे।
- ऐसे अधिकारी जिनका उत्तम स्वास्थ्य होगा तथा 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त हुए हों।
- सेवानिवृत्त अधिकारी का सेवाकाल में अच्छा आचरण, कुशल कार्य निष्पादन एवं बैंकिंग कार्यपद्धति का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
- बैंक के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त / सेवा त्याग करने वाले / निलम्बित अधिकारी या अन्य कारणों से सेवानिवृत्त से पूर्व बैंक सेवा में विरक्त अधिकारी पात्र नहीं होंगे।
- सेवा निवृत्त की तिथि के 05 वर्षों के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो, जिसके लिए उसे दण्डित किया गया है, पात्रता श्रेणी के बाहर होंगे।
- ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिनसे संबंधित सी.बी.आई. अथवा किसी अन्य व्यवसाय / एजेन्सी द्वारा कोई वाद लम्बित होगा, वह पात्र नहीं होंगे।
- सेवानिवृत्त अधिकारी की सेवायें अधिकतम 65 वर्षों की आयु तक प्राप्त की जायेंगी बशर्ते इस हेतु कोई अलग से अनुबंध न हो। अन्यथा किसी भी सेवा निवृत्त अधिकारी की आयु सेवा में रखे जाने के समय 64 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**संविदा की अवधि-**

- सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा के आधार पर सेवा में लिये जाने की अवधि प्रारंभिक तौर पर 12 माह हेतु होगी। प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा के उपरांत नियुक्त अवधि को अध्यक्ष की अनुमति के उपरांत पुनः बढ़ाया जायेगा।

**मानदेय / पारिश्रमिक-**

उक्त पद हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी की सेवा हेतु निम्न मानदेय / पारिश्रमिक होगा।

- रू. 1500 /- प्रति कार्य दिवस

**चयन प्रक्रिया-**

निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक व्यक्तियों को अपने फोटों एवं के.वाई.सी. के साथ एक आवेदन पत्र महाप्रबंधक (प्रशासन) को प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर विलम्बतः दिनांक 31 अगस्त 2017 तक मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) विभाग को प्राप्त कराया जायेगा। पात्र व्यक्तियों का चयन अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें महाप्रबंधक (परि.I), महाप्रबंधक (परि.II) एवं (प्रशासन) सदस्य होंगे, द्वारा लिये गये साक्षात्कार के आधार पर लिया जायेगा।

**रिपोर्टिंग-**

नियुक्त अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक परिचालन (प्रथम एवं द्वितीय) महाप्रबंधक (प्रशासन), मुख्य प्रबंधक(एन.पी.ए.) एवं वित्तीय समावेशन के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जायेगा तथा कार्य प्रगति हेतु रिपोर्टिंग अध्यक्ष महोदय को की जायेगी।

**अन्य-**

इस पद पर नियुक्त अधिकारी की संविदा के आधार पर नियुक्त निम्न शर्तों के साथ होगी: -

- यात्रा हेतु उसके सेवानिवृत्त के पद के समकक्ष यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा। यात्रा का अनुमोदन महाप्रबंधक (प्रशासन) अथवा महाप्रबंधक (परिचालन) से प्राप्त किया जायेगा।
- नियुक्त अधिकारी को रू. 300 /- प्रतिमाह मोबाईल व्यय / सी.यू.जी कनेक्शन देय होगा।
- मानदेय / पारिश्रमिक पर नियमानुसार आयकर की कटौती होगी।
- सेवायें बैंक कार्यकाल के अनुरूप प्राप्त की जायेगी।
- संविदा के आधार पर नियुक्ति बैंक में पुनः नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। बैंक द्वारा 30 दिनों की सूचना पर संविदा को समाप्त करते हुए सेवायें समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर रखे गये सेवानिवृत्त अधिकारी को अपनी सेवा प्रारम्भ करने के समय स्टैम्प पर सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।

